उप० नहीं है। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी नं० 1, 2 की तलबी की जाकर पत्रावली दि० 14-5-16 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

23-5-16 पत्रावली आज पेशी में ली गई। दि० 8-6-16 को पत्रावली ~~दि~~ कैम्प कोर्ट तलावडा में पेश हो।

(हस्ताक्षर)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

8-6-16 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट तलावडा पर पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी नं० 1 पुष्पादेवी व अप्रार्थी नं० 2 कान्ती देवी उपस्थित है। अप्रार्थी को सुनाया गया व समझाया गया। अप्रार्थीगण रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थी कैलाश का $\frac{1}{3}$ हिस्सा स्वीकार करती है एवं पक्षकारों के हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन कराने पर सहमत है। अप्रार्थीगण का यह कथन है कि जब तक पक्षकारों के बीच भूमि का बंटवारा नहीं हो जावे तब तक कोई भी पक्षकार भूमि को नहीं बेचे व रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करें इस आशय से पक्षकारों को पाबंद कर दिया जावे।

(हस्ताक्षर) पुष्पा

हम अप्रार्थी नं० 1, 2 के कथन से सहमत हैं। अतः प्रार्थी कैलाश व अप्रार्थी पुष्पादेवी व कान्ती देवी को तथा नायब तहसीलदार (उप पंजीयक) तलावडा, लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मुल वाद के निर्णय तक भूमि ख०नं० 302 रकबा 1.25 हैक्टर ग्राम तलावडा को किसी भी प्रकार रहन, क्रय, हस्तान्तरण नहीं करे तथा मौका व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील ~~मूल~~ वाद के साथ संलग्न रहे।

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)

(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी
(रविकुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी
(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी